संख्या : 304- चौवालिस–1-17/84

प्रेषक,

श्री माता प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्यमों/निगमों
के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1 — लखनऊ : दिनांक : 27 फरवरी 1984

विषय : राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्यमों/निगमों में व्यय में मितव्ययता।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उद्यमों में विभिन्न मदों में होने वाले व्यय को यथासमय नियंत्रित करने तथा उद्यमों में मितव्ययता का वातावरण बनाने का पूर्ण निष्ठा के साथ प्रयास के लिए पाश्वांकित पत्रों द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

1-अ०शा०प०सं०–3035/ब्यूरो–77, दिनांक–20 जुलाई, 1977
2-संख्या–5801/ब्यूरो–77-48-77, दिनांक–16 जनवरी, 1978
3-संख्या–2539/ब्यूरो–77-48-77, दिनांक–18 अगस्त, 1978
4-संख्या–1673/चौवालिस–1-80-48-77, दिनांक–11 जुलाई, 1980
5-संख्या–2868/ब्यूरो–48-77, दिनांक–26 जुलाई, 1979

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा समय-समय पर मितव्ययता के संबंध में जो निर्देश जारी किये गये हैं उनका न केवल कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय वरन् शासन के निम्नलिखित निर्णय के अनुसार व्यय में मितव्ययता की जाय :–

(1) सार्वजनिक उद्यमों के आयोजनों एवं सत्कार पर न्यूनतम व्यय किया जाय तथा यथासंभव भोजन व जलपान पर कोई व्यय न किया जाय।

(2) तदर्थ आधार पर भर्ती बिल्कुल न की जाय।

(3) वाहनों की स्वीकृति के सम्बन्ध में वर्तमान आदेश यह है कि नई स्टाफ कार अथवा जीप के क्रय की स्वीकृति न दी जाय। इसके अतिरिक्त शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि जहां वाहन के क्रय की स्वीकृति दी जा चुकी है परन्तु वाहन क्रय नहीं किया गया है वहां अब वाहन क्रय न किया जाय। यह प्रतिबन्ध उन प्रायोजनाओं सम्बन्धी मोटर गाड़ियों पर लागू नहीं होगा जो किसी स्वीकृति परियोजना के परिव्यय का एक आवश्यक अंग है तथा वाहन न होने से उक्त परियोजना पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

(4) विभिन्न स्तर के अधिकारी/कर्मचारी जिस श्रेणी में यात्रा के लिए अनुमन्य हैं उससे उच्च श्रेणी में यात्रा की अनुमति न प्रदान की जाय।

(5) फर्नीचर व अन्य साज–सज्जा पर सामान्यतया व्यय अपरिहार्य होने की दशा में ही किया जाय।

(6) कारपोरेट प्लान अथवा किसी स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण कार्य को उत्पादन एवं व्यवसाय से सम्बन्धित भवनों के निर्माण तक सीमित रखा जाय अर्थात कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए कोई योजना न प्रारम्भ की जाय।

भवदीय,
[माता प्रसाद]
सचिव।

संख्या : 304(1)/चौवालिस–1-17/84- तद्दिनांक

प्रतिलिपि :–

(1) प्रशासनिक विभाग के समस्त सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(2) वित्त सचिव को शासनादेश संख्या–173/दस –सं०वि/1984, दिनांक 18 जनवरी, 1984 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आज्ञा से, [माता प्रसाद]
सचिव।

संख्या : 304(2)/चौवालिस–1-17/84- तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के समस्त अनुभाग अधिकारी

(2) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियों के सहित सूचनार्थ।

आज्ञा से,
[सत्य चरण श्रीवास्तव]
संयुक्त सचिव।